1025

Notefication No.-E-way bill-R.F.I.D./sachaldal/2018-19/ /commercial tax.

office of the commissioner, commercial tax

Uttar Pradesh.

(Sachal dal Anubhag)

Lucknow Dated 07 September, 2018.

Notification

In persuance of powers given by sub rule (4) of rule 138A of Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 I, Commissioner State Tax U.P., hereby direct that such transporters, who transport such goods for which, information relating to the said goods as specified in FORM GST EWB 01 is required to be furnished electronically on the common portal, before transportation of such goods in the territory of Uttar Pradesh, shall obtain a R.F.I.D. Tag and get the said R.F.I.D. Tag embedded on wind screen of the conveyance carring such goods and get it mapped to the E-way bill system.

This Notification shall come into force with effect from 01 November, 2018.

Circulated by :-
TAX LAW DIARY
Allahabad
M – 7007303296

(Kamini Chauhan Ratan)

Commissioner, State Tax

Commercial Tax Department, U.P.

बगैर आरएफआइडी टैग लगाए वाहन से नहीं कर सकेंगे कारोबार

जासं, मेरठ: टैक्स चोरी और फर्जी फर्मों के कारोबार पर लगाम लगाने को उप्र वाणिज्य कर विभाग ने कमर कस ली है। कामर्शियल वाहन की विंड स्क्रीन पर आरएफआइडी (रेडियो आवृत्ति पहचान) टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एक नवंबर से जीएसटी के दायरे में आने वाला पचास हजार से अधिक का माल परिवहन बगैर टैग लगे कामर्शियल वाहन से नहीं किया जा सकेगा।

कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने का कार्य यूपी डेस्को को सौंपा गया है। इसने प्रदेश के 37 जनपदों की सीमाओं पर चेकिंग के लिए टावर स्थापित किए हैं। मेरठ जोन में बागपत जिले के गौरीपुर बार्डर पर मुख्य मार्ग पर टॉवर स्थापित किया गया है। टॉवर के नीचे से कामर्शियल वाहन जैसे ही गुजरेगा वैसे ही रेडियो तरंगों के जरिए पता चल जाएगा कि आरएफआइडी टैग लगा है या नहीं। कौन सा सामान मौजूद है और वह ई-वेबिल है या नहीं। बिना टैग कामर्शियल वाहन ट्रेस होते ही वाणिज्य कर एसआइबी की टीम सक्रिय हो जाएगी और वाहन को पकड़ लेगी। वाणिज्य कर अधिकारियों के अनुसार माल का परिवहन प्रारंभ करने से पहले आरएफआइडी डिवाइस वाहन के विंड स्क्रीन पर लगवाना और इसकी मैपिंग जीएसटी ई-वेबिल सिस्टम से कराना अनिवार्य है।

टैग वितरण का कार्य प्रारंभ

यूपी डेस्को ने बागपत जनपद के गौरीपुर बार्डर पर दो टैग वितरण केंद्र नंद पार्क सोनीपत रोड और गौरीपुर यमुना पुल के समीप स्थापित किए हैं। गुरुवार दोपहर 11 बजे से वाणिज्य कर विभाग एसआइबी के अधिकारियों ने आरएफआइडी टैग वितरण और उसकी मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया है। प्रति टैग 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आसपास के जनपदों शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद में भी निगरानी टॉवर और टैग वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पकड़े जाने पर ये होगी कार्रवाई

- जीएसटी अधिनियम की धारा-129 के तहत माल एवं वाहन सील किया जा सकता है और अर्थदंड लगाया जा सकता है।
- जीएसटी अधिनियम की धारा-130 के तहत माल एवं वाहन जब्त हो सकता है और माल को नीलाम किया जा सकता है।
- जीएसटी अधिनियम की धाराओं के तहत कर निर्धारण, पेनाल्टी समेत अर्थदंड की की कार्रवाई की जा सकती है।

आरएफआइडी टैग विंड स्क्रीन पर लगाना और ई-वेबिल सिस्टम से मैपिंग अनिवार्य है। एक नवंबर से यह व्यवस्था लागू हो रही है। बिना टैग कामर्शियल वाहन पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी।

ओम प्रकाश, ज्वाइंट कमिश्नर,
वाणिज्य कर एसआइबी रेंज-बी मेरठ।

उ.प्र. माल एवं सेवाकर नियमावली तथा केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली के नियम 138 क (4) में व्यवस्था की गयी है कि कमिश्नर माल के परिवहन से पूर्व आर.एफ. आई.डी. डिवाईस वाहन पर जड़वाने (Embbed) तथा आर.एफ.आई.डी. डिवाईस को E-Way सिस्टम से मैच करने का आदेश दे सकते हैं।

नियमावली के उक्त प्राविधानों के तहत उ0प्र0 राज्य में दिनांक 1 नवम्बर, 2018 से माल (जिनके परिवहन से पूर्व E-way बिल जेनरेट करना अनिवार्य है), का परिवहन कर रहे वाहनों की विण्ड स्क्रीन पर आर.एफ.आई.डी. टैग जड़ा होना अनिवार्य किया गया है।

वाहनों की विण्ड स्क्रीन पर जड़े हुए (Embedded) आर.एफ.आई.डी. टैग को जी.एस.टी. ई–वे बिल सिस्टम से Mapping (प्रतिचिन्हित) कराना भी अनिवार्य है।

- उ0प्र0 राज्य में दिनांक 1 नवम्बर, 2018 से उ0प्र0 राज्य की भौगोलिक सीमा में माल के परिवहन से पूर्व आर.एफ.आई.डी. की अनिवार्यता के सम्बन्ध में विज्ञप्ति सं0– ई–वे बिल–RFID/सचलदल/2018–19/1025/वाणिज्य कर दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को जारी की जा चुकी है, जो वाणिज्य कर विभाग उ0प्र0 की वेबसाईट **comtax.up.nic.in** पर उपलब्ध है।
- दिनांक 1 नवम्बर, 2018 से उ0प्र0 राज्य की भौगोलिक सीमा में ऐसे माल, जिसके परिवहन से पूर्व E-Way Bill जेनरेट किया जाना अनिवार्य है, का परिवहन कर रहे वाहन की विण्ड स्क्रीन पर आर.एफ.आई.डी. टैग न जड़े होने अथवा आर.एफ.आई.डी. टैग की मैपिंग E-Way Bill सिस्टम से न होना पाये जाने की दशा में –

1 एस.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा–129 के अन्तर्गत माल एवं वाहन अभिग्रहीत किया जा सकता है तथा अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

2 धारा–129 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की राशि माल के मूल्य तथा देय जी.एस.टी. के योग के बराबर हो सकती है।

3 एस.जी.एस.टी/सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा–120 के अन्तर्गत माल एवं वाहन जब्त किया जा सकता है तथा जब्त किये गये माल को नीलाम भी किया जा सकता है।

4 एस.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कर निर्धारण, फाइन, अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही भी संभव है।

आर.एफ.आई.डी. टैग प्राप्त करने तथा E-way Bill सिस्टम से Mapping करने की व्यवस्था

- वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 द्वारा आर.एफ.आई.डी. टैग के विवरण एवं आर.एफ.आई.डी. टैग की **E-Way Bill** सिस्टम से मैपिंग हेतु उ0प्र0 राज्य सरकार के उपक्रम यू0पी0डेस्को को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

आर.एफ.आई.डी. टैग एवं इसकी मैपिंग का शुल्क रू. 100/- प्रति टैग/वाहन निर्धारित है।

कार्यदायी संस्था सर्वश्री यू0पी0डेस्को द्वारा राज्य में निम्न स्थानों पर टैग वितरण एवं ई–वे बिल सिस्टम से मैपिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है:–

क्र. सं.	जनपद का नाम	टैग वितरक का नाम एवं मोबाइल नं.	टैग वितरण केन्द्र
1.	देवरिया	श्री आशीष रमन सिंह मो0 7583938829	इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, महेसेना, देवरिया (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.2 किमी.)
2.	बलिया	श्री अरविन्द कुमार सिंह मो0 8052217273	1– एनएच 31, मांझी रोड, गढ, चांद दियार पुलिस चौकी, निकट चांद दियार पेट्रोल पम्प, बलिया (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.5 किमी.)
3.	मीरजापुर	श्री केदार नाथ गुप्ता मो0 8400261027	दुर्जनपुर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दुमदगंज, मीरजापुर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.7 किमी.)
4.	इटावा	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह मो0 9412408434	भदावर विद्या मन्दिर स्कूल, उडी मोड, उडी, इटावा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.25 किमी.)
5.	मुरादाबाद	श्री अरशद अली मो0 9012916123	1. निकट सागर पब्लिक स्कूल, काशीपुर रोड, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.5 किमी.) 2. सिंह टूरिस्ट ढाबा, रामूवाला गणेश चौक, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1 किमी.)
6.	बिजनौर	श्री मो0 मेंहदी मो0 8929913441	1. आर.टी.ओ. चेकपोस्ट, हेमकुंड धर्मकांटा, भागूवाला (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.2 किमी.) 2. निकट फारेस्ट चेकपोस्ट, भागूवाला (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.5 किमी.) 3. खैरा पंजाब ढाबा, भागूवाला (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.8 किमी.) 4. बिजनौर ट्रक ओनर एसोसिएशन, बिजनौर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 4.5 किमी.) 5. जनता ट्रक ओनर वेलफेयर सोसाइटी, धनौरा रोड, चांदपुर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 6.5 किमी.) 6. पब्लिक कैरियर वेलफेयर एसोसिएशन, कोतवाली रोड नजीबाबाद (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 7.5 किमी.)
7.	गाजीपुर	श्री राजन प्रताप सिंह मो0 8922098992	1. ब्लू स्टार लाइन होटल, मेन रोड, बारा, गाजीपुर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.7 किमी.) 2. निकट बैंक ऑफ इंडिया, मेन रोड बारा, गाजीपुर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.)
8.	पीलीभीत	श्री नेतराम मो0 9758814444	1. सिरसा मोड, बारापुरा, अमरिया, पीलीभीत (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.9 किमी.) 2. गुरूद्वारे के सामने, बैसाहा, अमरिया, पीलीभीत [illegible]

9.	आगरा	श्री संतोष चाहर मो0 9927025388 9410407810	1. कचा नगला पुलिस चौकी के सामने, आगरा रोड, फतेहपुर सीकरी (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.) 2. श्याम ढाबा, निकट तेहरा पेट्रोलपम्प, भरतपुर रोड, फतेहपुर सीकरी (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 3.2 किमी.) 3. रसूलपुर चौराहा, फतेहपुर सीकरी (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 2.2 किमी.)
10	आगरा	श्री संतोष चाहर मो0 94104 07810	1. आगरा ढोलपुर रोड, रजनी हास्पिटल के सामने, सियान आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.) 2. खेरागढ़, सईया रोड, निकट फ्लाईओवर, सईया, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.2 किमी.) 3. केलशा ढाबा, निकट भारत पेट्रोल पम्प, बरेठा, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.5 किमी.) 4. प्राची ढाबा, पुलिस स्टेशन के सामने, सईया, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.2 किमी.) 5. भगतजी ढाबा, विराई, सईया, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.5 किमी.) 6. जयहिन्द पेट्रोल पम्प, तेहरा, सईया, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 3.2 किमी.) 7. मां भगवती ढाबा, सिकन्दरपुर, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 4.5 किमी.) 8. निकट संकल्प मैरिज होम, सईया, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.) 9. देवेन्द्र धर्मकांटा, रोहटा, आगरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 10.5 किमी.)
11.	मथुरा	श्री संतोष चाहर मो0 9410407810	1. फौजदार टाइल्स उद्योग, कोसीकलां, आगरा रोड, कोटवन, मथुरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.) 2. सीएनजी गैस पम्प, आगरा रोड, कोसीकला, कोटवन मथुरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.2 किमी.) 3. गणपति फार्म्स, दिल्ली रोड, कोटवन, मथुरा (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 2.5 किमी.)
12.	झांसी	श्री जितेन्द्र राजपूत मो0 9451994107	1. कपिल ढाबा, निकट टोल प्लाजा, रक्सा झांसी (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 2.0 किमी.) 2. सिजबाहा, अवहाद होटल के सामने, रक्सा, झांसी (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.)
13.	ललितपुर	श्री गणेश प्रताप सिंह मो0 9450035857	1. निकट गौशाला, भारत पेट्रोल पम्प के सामने, मसौरा, ललितपुर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 2.0 किमी.) 2. मसौरा बेरियल यूपी चेकपोस्ट, NH-26, झांसी रोड, मसौरा, ललितपुर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 0.2 किमी.) 3. राज कालोनी, नकट यादव ढाबा, सागर रोड, ललितपुर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 3.0 किमी.)
14.	कुशीनगर	श्री शंकर दयाल सिंह मो0 9616850698	1. इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, कावापट्टी, तमकुहीराज, कुशीनगर (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.5 किमी.) 2. निकट ओवरब्रिज, हरहरपुर, तमकुहीराज (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.)
15.	चंदौली	श्री ब्रजेश कुमार सिंह मो0 9793266391 8874509061	1. लुकमानपुर सईद रजा, NH-2 (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी.) 2. बरथी कमरौर, निकट रिलायंस पेट्रोल पम्प, NH-2, नौबतपुर, चंदौली (आर.एफ.आई.डी. टावर से दूरी : 1.0 किमी)

नोटः— जिन वाहनों पर पहले से आर.एफ.आई.डी. टैग जड़े हुए (Embedded) हैं, उन्हें नया आर.एफ.आई.डी. टैग प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, ऐसे वाहन उक्त टैग वितरण केन्द्रों पर जाकर अपने

एक राष्ट्र एक कर एक बाजार
जी.एस.टी.

उत्तर प्रदेश राज्य में

दिनांक 1 नवम्बर 2018 से RFID व्यवस्था लागू

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

वेबसाइट www.comtax.up.nic.in | ई–मेल cthelplinelu@up.nic.in | @comtaxupgst | @ComtaxU